

दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (DDT) पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2020
दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अन्तर्गत
दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (DDT) में
वर्ष 2020-21 में रनातक-स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम

1.0 सामान्य

दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत डेयरी पॉलीटेक्निक बेमेतरा/तखतपुर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नॉलाजी) प्रवेश नियम 2020 कहलायेंगे। ये प्रवेश नियम दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2020-21 हेतु लागू होंगे।

2.0 संस्था, पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधि

2.1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत दो डेयरी पॉलीटेक्निक संस्थाएँ संचालित हैं। इस संस्था के द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के प्रसंस्करण हेतु सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है।

2.2 संस्था का पता
1. डेयरी पॉलीटेक्निक, बेमेतरा
2. डेयरी पॉलीटेक्निक, तखतपुर

2.3 पाठ्यक्रम - दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा Diploma in Dairy Technology (DDT)

2.4 अवधि - 24 माह (चार सेमेस्टर)

2.5 माध्यम - हिन्दी (Hindi) एवं अंग्रेजी (English)

3.0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता एवं अर्हता

3.1 भारत का नागरिक हो

3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो

3.3 प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की न्यूनतम आयु प्रवेश वर्ष के कैलेंडर वर्ष के दिनांक 31 दिसंबर को 17 वर्ष की हो परन्तु 22 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/दिव्यांग/महिला एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) के प्रत्याशी की न्यूनतम आयु प्रवेश वर्ष के कैलेंडर वर्ष के दिनांक 31 दिसंबर को 17 वर्ष की हो परन्तु 25 वर्ष से अधिक न हो।

A and V R

d

@Puthu

- 3.4 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) से अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से (10+2) की 12 वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो। सामान्य वर्ग के छात्र के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) के छात्रों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- 3.5 ऐसे आवेदक जो मुख्य अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रदेश के पात्र नहीं होंगे।
- 4.0 उपलब्ध सीटों का विवरण
1. डेयरी पॉलीटेक्निक बेमेतरा: 30 सीट
 2. डेयरी पॉलीटेक्निक तखतपुर: 30 सीट
- 5.0 मूल निवासी, आरक्षित सीटें एवं आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्रता एवं अर्हता
- दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के डेयरी पॉलीटेक्निक में निम्नानुसार सीटों पर आरक्षण उपलब्ध होगा।

डेयरी पालीटेक्निक, तखतपुर																																				
Open Unreserved 12						ST 10						SC 04						OBC 04						Total 30						Grand						
X	F	K	F	P	E	X	F	K	F	P	E	X	F	K	F	P	E	X	F	K	F	P	E	X	F	K	F	P	E	Total						
4	1	-	-	-	-	6	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	19	9	2	-	-	-	30						

डेयरी पालीटेक्निक, बेमेतरा																																				
Open Unreserved 12						ST 10						SC 04						OBC 04						Total 30						Grand						
X	F	K	F	P	E	X	F	K	F	P	E	X	F	K	F	P	E	X	F	K	F	P	E	X	F	K	F	P	E	Total						
4	1	-	-	-	-	6	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	19	9	2	-	-	-	30						

- 5.1 मूल निवासी की शर्त (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पत्र। प्रारूप 1 संलग्न।)
- 5.1.1 जो भारत का नागरिक हो।
- 5.1.2 (क) जिसने विगत पाँच वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)
- अथवा

Signature

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो
(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो:

(1) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में
होते हुए कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी
(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

अथवा

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकदार,
टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी
जो 01 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ
हो। (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)

स्पष्टीकरण- 1 छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी :

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी: छत्तीसगढ़ मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा

अथवा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक,
जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद
का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण-2 अग्निभावक:-

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक
के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा
उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के
संबंध में समक्ष न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार
के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक
माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3 दत्तक पुत्र/पुत्री

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो
उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो प्रवेश
के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा
होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि

@path

A

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग 1 अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी कमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा किन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

5.2 अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण:-

5.2.1 छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवासी) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) के पुत्रों/पुत्रियों के लिये कमशः 32, 12, एवं 14 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण उपलब्ध होगा।

5.2.2 ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं / अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **प्रारूप 2 एवं 3 संलग्न।**

5.3 कृषक:-

5.3.1 सभी श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो के पुत्र/पुत्रियों के लिये 05 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मेरिट में आता है लेकिन किसी कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उसे कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता। तथापि उसकी मेरिट जिस वर्ग /संवर्ग का वह अभ्यर्थी है उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुनें। **प्रारूप 4 संलग्न।**

5.3.2 इस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ कृषको के उन पुत्र/पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने प्राथमिक (कक्षा पांचवीं), पूर्व माध्यमिक (कक्षा आठवीं), हाईस्कूल (कक्षा दसवीं) तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारहवीं) में से कोई दो परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्र की शाला से नियमित छात्र के रूप में

उत्तीर्ण की हो । यह नियम स्वाध्यायी छात्रों के लिये भी समान रूप से लागू होगा । **प्रारूप 4 संलग्न ।**

5.3.3 शाला का ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिये तहसीलदार अथवा विकासखंड अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र मान्य होगा । **प्रारूप 4 संलग्न ।**

5.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

5.4.1 सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र/पौत्रियों के लिये 03 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा ।

5.4.2 इस वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने हेतु छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है । इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हो तो उसे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा ।

5.4.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ से संबंधित जिले के कलेक्टर से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । **प्रारूप 5 संलग्न ।**

5.5 महिला:—

सभी श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिये 30 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा ।

5.6 दिव्यांग उम्मीदवार:—

ऐसे उम्मीदवार जो दिव्यांग हों उनके लिये छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सभी श्रेणी के अंतर्गत 03 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा । छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश मान्य होंगे ।

5.7 प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक (सैनिक/भूतपूर्व सैनिक)

सभी श्रेणी के अंतर्गत प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक (सैनिक/भूतपूर्व सैनिक) के पुत्र/पुत्रियों के लिये 03 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं । प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक (सैनिक/भूतपूर्व सैनिक) के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्रारूप 6 ए या 6 बी में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । भूतपूर्व सैनिक/**Ex serviceman** का

आशय भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भूतपूर्व सैनिक / **Ex serviceman** से होगा । छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश मान्य होंगे ।
प्रारूप 6 ए से 6 बी संलग्न ।

5.8 आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा । ये नियम सीटों की संख्या निर्धारण में ही लागू होगा तथा न्यूनतम अंक सीमा प्रतिशत में लागू नहीं होंगे ।

6. प्रवेश प्रक्रिया एवं न्यूनतम अंक सीमा:-

उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा । ऑनलाईन आवेदन के साथ दिये गये निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी ऑनलाईन निर्धारित कौंसिलिंग शुल्क एवं सभी प्रविष्टिया भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में विश्वविद्यालय में जमा करेगा । अहर्ता एवं पात्रता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी । ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में प्राप्त आवेदनो के द्वारा जारी मेरिट सूचियों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर कौंसिलिंग के माध्यम से आवेदको द्वारा भरे गये दो डेयरी पॉलीटेक्निक (बेमेतरा/तखतपुर) के विकल्प के अनुसार विभिन्न पॉलीटेक्निक में सीट आबंटन कर प्रवेश दिया जावेगा । आवेदक द्वारा भरे गये विकल्प अंतिम होगा तथा इसमें कोई बदलाव मान्य नहीं होगा ।

प्रवेश हेतु 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित विषय सहित सामान्य वर्ग के छात्र के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के छात्रों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको में परीक्षा उत्तीर्ण की हो । छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथा सेन्द्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा की मूल अंकसूची के विज्ञान विषय समूह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित की कुल प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जावेगा । दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने पर गणित के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा । गणित के प्राप्तांक समान होने पर भौतिक विज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा । भौतिक विज्ञान के प्राप्तांक समान होने पर रसायन विज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा । इसके उपरांत भी समान प्राप्तांक होने पर अधिक उम्र वाले प्रवेशार्थी को प्राविण्यता दी जावेगी ।



6.1 रिक्त सीटों पर प्रवेश

6.1.1 आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी । आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा ।

6.1.2 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे । इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे । इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के अतिरिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों से भरा जावेगा । जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के बिना वर्ग के उम्मीदवार से भरे जावेंगे ।

6.1.3 यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलाएं न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी ।

6.2 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेंगे । निर्धारित तिथि के उपरांत रिक्त स्थान रहने पर उन्हे नियमानुसार भरने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा क्योंकि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाई होती है ।

6.3 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के आरक्षण में छूट संबंधी समय-समय पर जारी नियमों/अथवा दिषा-निर्देशों का पालन किया जायेगा । छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश मान्य होंगे ।

7. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण:-

डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नॉलाजी में प्रवेश मेरिट सूची के आधार पर आवेदकों को अस्थायी प्रवेश दिया जावेगा । प्रवेश के समय प्रवेशार्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी । प्रवेश के लिए आवेदक को पाठ्यक्रम में संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/अर्हता शर्तों को पूरा करना होगा । आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल प्रमाण पत्र कौंसिलिंग के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे ।



A   



(1) 10वीं की अंक सूची (2) 12वीं की अंक सूची (3) स्थायी जाति प्रमाण पत्र/सत्यापित जाति प्रमाण पत्र (4) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र (5) चिकित्सा प्रमाण पत्र (6) आय प्रमाण पत्र (7) वर्ग/श्रेणी संबंधित पत्र (8) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (9) अंतराल प्रमाण पत्र (10) प्रवजन प्रमाण पत्र (11) चरित्र प्रमाण पत्र (12) आधार कार्ड (13) पासपोर्ट फोटो

8. अभ्यर्थियों हेतु अन्य शर्तें एवं जानकारियाँ:

- 8.1 आवेदक को उसी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा ।
- 8.2 जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 8.3 उम्मीदवार द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।
- 8.4 दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत आने वाले पालीटेक्निक संस्थानों में रैगिंग पूर्णतः निषेध है ।

9. प्रवेश निरस्तीकरण :-

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख /विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा ।

A    

(प्रारूप :1)

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक.....

दिनांक:.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी निवासी.....
तहसील..... व जिला छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि

वह -

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है / हुई है ।

2. (क) वह

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से कोई जीवित नहो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन)

छत्तीसगढ़ म निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालको में से कोई भी :-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्ष से कोई अचल संपत्ति, उद्योग
अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

Opalthi

Opalthi

[Signature]

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है ।
6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात् –
 - (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा
 - (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा
 - (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा.

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबांटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों /कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान
- (ग) छत्तीसगढ़ में संबैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति

Apalli

[Signature]

द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ध) राज्य के अधीन सीमित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी / कर्मचारी उनकी पत्नी/पति अथवा संतान

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

पदनाम एवं सील





प्रारूप -2
प्रमाणपत्रों के प्रारूप

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक..... प्रगकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री.....पिता/पति का नाम.....
.....निासी ग्राम / नगर.....पटवारी हल्का नं.....वि.खं.....
.....तहसील.....जिला.....संभाग.....जाति/जनजाति का/की
सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य
के संघ में अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह.....
.....जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत
छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है अतः श्री / सुश्री
पिता/पति का नाम..... अनुसूचित जाति/ जनजाति का / की है ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री.....के परिवार की कुल वार्षिक
आय रुपये.....है ।

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम एवं सील

टिप्पणी

- 1 अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
- 2 केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे । (अ) कलेक्टर/ अतिरिक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप-संभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहद् / मध्यम/ एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अभ्यर्थी के अभिभावक के द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही सीनीय निकायों के दस्त्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ।

@pathi

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोडकर) प्रवर्ग
के अभ्यर्भियो द्वारा प्रस्तुत किया जानें वाले प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़ पुस्तक क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण -पत्र

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... आत्मज श्री
.....निसी ग्राम जिला संभाग..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो
.....जाति के है, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिम जाति, अनुसूचित
जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/25/4/84, दिनांक 26
दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है ।

श्री.....और /या उनका परिवार समान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला
.....संभागमें निवास करता है व छत्तीसगढ़ के राज्य में दिनांक.....
.....को प्रवजन कर चुका है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....क्रीमी लेयर (संपन्न वर्ग)
व्यक्तियों/ वर्णों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के
परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-03 द्वारा जारी सूची में कालम-3 में
तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8
मार्च 19994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री.....के परिवार की कुल वार्षिक
आय रूपये.....है ।

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम एवं सील

@palthu

कार्यरत किसान प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक:.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम.....
.....के माता - पिता/ श्री/श्रीमती
.....वास्तविक कार्यरत स्थाई किसान उनके पास हेक्टेयर.....
.....गांव.....तहसील.....जिला..... राज्य
छत्तीसगढ़ में है ।

ये कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा खेती के अतिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है ।

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

श्री/श्रीमती/कुमारीनें 5वीं,8वीं,10वीं, एवं 12वीं कक्षाओं में से निम्न कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में किया/ अथवा स्वाध्यायी छात्र के रूप में निम्न 2 परीक्षाएँ ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण की है :-

1. 5वीं कक्षा (प्राथमिक)
2. 8वीं कक्षा (माध्यमिक)
3. 10वीं कक्षा (मेट्रिक हाईस्कूल)
4. 12 वीं कक्षा (उच्चतर माध्यमिक)

स्थान :.....

दिनांक:.....

तहसीलदार/विकासखण्ड अधिकारी

सील





स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक:.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम) श्री / सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के / की वैध संतान है । जो श्री / सुश्री(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिलाके कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांकपर पंजीकृत है ।

स्थान.....

दिनांक:.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी
पदनाम एवं सील

Appathi

प्रारूप -6(ए)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से वाधित

प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक:.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री.मती (माता पिता का नाम)
.....जो छत्तीसगढ़, व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित
.....परीक्षा के आधार पर बी.व्ही.एस.सी.एण्ड ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम में
प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री /कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम)
..... के पिता/माता है ,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के /की एक भूतपूर्व सैनिक है । सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के
समय वेपद पर थे / थी और उनका सर्विस क्रमांक.....
....था ।

(ब) उन्होंने थलसेना /वायुसेना/नौसेना मेंपद पर सर्विस क्रमांक
.....के अधीन सेवा की है । सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए हैं /
सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है ।

स्थान.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

कार्यालय सील





प्रारूप-6 (बी)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक:.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री.मती (अभ्यर्थी के पिता/ माता का नाम) स्नातक प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता (जो लागू न हो उसे काट दे) है वह थल सेना /वायुसेना/नवसेना मेंओहदे पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा.....इकाई में पदस्थ है । वे इस इकाई में दिनांकसे सेवारत है।

स्थान.....

दिनांक:.....

(हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा)

कार्यालय सील
कमांडिंग आफिसर



न्यायालय तहसीलदार.....जिला.....(छत्तीसगढ़)

// आय प्रमाण पत्र //

पूर्ण जानकारी के अनुसार यह प्रमाणित करत हूं कि

1. श्री / श्रीमती / कु.....पुत्र / पुत्री पत्नी
..... का स्थायी निवासी.....
तहसील.....जिला..... छत्तीसगढ़ का है ।
2. श्री / श्रीमती / कु.....का है और उसकी उपजाति.....
.....उसका धर्म..... है ।
3. छात्र / छात्रा के पिता / माता / अभिभवक श्री.....
.....आत्मज श्री.....
छात्र / छात्रा की अगर आय हो तो सम्मिलित करते हुये । समस्त स्रोतों से वार्षिक आय,
.....शब्दों में.....रुपये है ।

स्थान :.....

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी,

पदनाम एवं सील

नोट:

1. पिता / माता / पति जीवित न रहने पर अभिभावक की आमदनी दर्शायी जाये ।
2. यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी को सलाह दी जाती है कि यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण-पत्र जारी करे ।

@pathi